न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–81/2021 (GCMS No. 2021/88) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. गलखानसिंह उम्रकरीब 35 वर्ष
2. औतारी उम्र करीब 30 वर्ष
3. दिनेश उम्र करीब 28 वर्ष

} पुत्रगण स्व. माणिक चन्द्र जाति जाटव निवासी ग्राम मालौनी खुर्द तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

4. श्रीमती गंजू देवी पुत्री स्व. श्री मानिक चन्द्र पत्नि महेश जाति जाटव निवासी ग्राम मालौनीखुर्द तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर हाल आबाद मौहल्ला चावली सी.ओ.डी. के पास आगरा उत्तर प्रदेश।

.....अपीलांटस

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 19.01.2001 मुकदमा नम्बर 43/2000 उनवान सरकार वनाम मानिकचन्द्र।

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से श्री किशनसिंह त्यागी, वकील।

नि र्ण य

दिनांक : 06.05.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 19.01.2001 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांटस के पिता को विवादित आराजी खसरा नम्बर 9/1 रकवा 3 वीघा, ख.नं. 202/1 रकवा 2 वीघा 13 विस्वा एवं 358/2416 रकवा 1 वीघा 6 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 6 वीघा 19 विस्वा वांके ग्राम मालौनी खुर्द में दिनांक 23.01.1983 को आवंटित हुई तथा आवंटी गैर खातेदार रिकार्ड में दर्ज है। तहसीलदार सैंपऊ द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) कृषि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत अपीलार्थी के पिता मानिकचन्द्र के विरूद्व दिनांक 29.11.2000 को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के यहॉ प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

19.01.2001 को प्रार्थना अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार कर अपीलांट के पिता के पक्ष में हुये आवंटन को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। ।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से पैरवी हेतु कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया।

3. हमने अपीलांट की अपील पर बहस सुनी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर दलील दी कि आक्षेपित निर्णय की जानकारी दिनांक 12.08.2021 से पूर्व अपीलार्थीगण को नहीं थी।जब अपीलार्थीगण पटवारी हल्का से विवादित आराजी की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 10.08.2021 को सम्पर्क किया तब पटवारी हल्का के अवगत कराने पर कि उक्त आराजी अपीलार्थीगण या उनके पिता के नाम नहीं है होकर सरकारी खाते में बोल रही है। तब अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 12.08.2021 को कचहरी धौलपुर के जिला अभिलेखागार से निरीक्षण कर नकल प्राप्त की। आक्षेपित निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्व है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में अपीलार्थीगण द्वारा जानबूझकर कोई देरी नहीं की है। जानकारी से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर अवधि माना जावे। जिसके लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश है। अपीलांटस के पिता को विवादित आराजी खसरा नम्बर 9/1 रकवा 3 बीघा, ख.नं. 202/1 रकवा 2 बीघा 13 विस्वा एवं 358/2416 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 6 बीघा 19 विस्वा वांके ग्राम मालौनी खुर्द में दिनांक 23.01.1983 को आवंटित हुई तथा आवंटी गैर खातेदार रिकार्ड में दर्ज है। अपीलार्थीगण के पिता पिता मानिक चन्द्र की मृत्यु दिनांक 16.01.1998 के पश्चात रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष प्रार्थना पत्र नियम 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की बैक पर निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थीगण के पूर्व पुरूष मानिक चन्द्र पर तामील कुनिन्दा ने गलत सम्मन पर तामील कराई। तामी कुनिन्दा ने सम्मन पर मानिक चन्द्र के गलत हस्ताक्षर कराकर सम्मन वापिस किया था जिस पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त गलत तामील के आधार पर एकपक्षीय आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो प्राकृतिक नियमों के विरूद्व है। अपीलाधीन आदेश पटवारी हल्का अथवा तहसीलदार/प्रत्यर्थी की एकपक्षीय रिपोर्ट निर्णय क मूल आधार नहीं हो सकती है। मोका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलार्थीगण केपूर्व पुरूष को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

मानिक चन्द्र की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की गई। मृत व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही एवं निर्णय निरस्त योग्य हैं क्योंकि मानिक चन्द्र की मृत्यु दिनांक 16.01.1998 को हो चुकी थी और अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2001 को पारित किया गया है। विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण का मानिक चन्द्र के जीवनकाल से कब्जा काश्त है और उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.01.2001 निरस्त किया जावे। अपीलांटस द्वारा अपने कथनों समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2022–23 (Supp.) आरआरटी पेज 112 उद्वृत किया।

5. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। जिसका रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

6. अपीलांट की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया। माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीर का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के पिता को दिनांक 23.01.1983 को आराजी खसरा नम्बर 9/1 रकवा 3 बीघा, 202/1 रकवा 2 बीघा 13 विस्वा व ख.नं 358/2416 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 6 बीघा 19 विस्वा ग्राम मालौनी खुर्द में भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई। आवंटी रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज है। आवंटन आदेश के 17 वर्ष बाद उक्त आवंटन को निरस्त कराने बावत् तहसीलदार सैंपऊ द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर में नियम 14(4) के तहत आवेदन पत्र 29.11.2000 में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवंटी द्वारा आवंटन के समय से आदिनांक तक कभी भी उक्त भूमि पर काश्त नहीं की है। अन्य दीगर व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त किया जावे। जहॉ तक आवंटी द्वारा विवादित आराजी पर काश्त नहीं किये जाने का प्रश्न है, काश्त किये जाने की शर्त को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999 में जारी अधिसूचना से विलोपित किया जा चुका है। अपील के साथ प्रस्तुत आवंटी श्री मानिकचन्द्र के मृत्यु प्रमाण पत्र में उसकी मृत्यु की दिनांक 16.01.1998 अंकित है तथा प्रार्थना पत्र धारा 14(4) का दिनांक 29.11.2000 को पेश किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह प्रार्थना पत्र मृत व्यक्ति के विरूद्व पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित किया गया है जो विधिक रूप

6/5

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

से स्वीकार योग्य नहीं है। मानिकचन्द्र के सम्मन पर हुई तामील को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है क्योंकि मानिकचन्द्र के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उसका निधन वर्ष 1998 में हो चुका था और सम्मन दिनांक 08.12.2000 को जारी हुआ है। अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना पारित निर्णय की कोई विधिक मान्यता नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर का निर्णय दिनांक 19.01.2001 को अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में आवंटी मृतक मानिकचन्द्र के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/5/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर